न्यायालयः अपर सिविल जज (जू०डि०), न्यायालय संख्या-04, मेरठ।

दाण्डिक वाद संख्या- 23789/2022, सरकार बनाम अक्षय राठी
मु०अ०सं०- 312/2018, धारा- 279, 338 भा०द०सं०।
थाना- रोहटा, जिला- मेरठ।

दिनांक 24.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अक्षय राठी की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र इस आधार प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मुकदमें से संबंधित चुटैल से प्रार्थी/अभियुक्त का बाहमी समझौता हो गया है, क्योंकि चुटैल को मामूली प्रकार की चोटें आयी थी, जिस कारण समाज के लोगों ने समझौता कर दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मुकदमें में अपने जुर्म का इकबाल करता है। अभियुक्त एक ड्राईवर पेशा व्यक्ति है। अतः उसकी ओर से उस पर कम-से-कम अर्थदण्ड लगाते हुये वाद का निस्तारण किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को अधिकतम जुर्माने या सजा से दण्डित किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में वाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त अक्षय राठी पुत्र सोमपाल राठी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 338 भा०द०सं० में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2020 को संज्ञान लिया गया था तथा दिनांक 18.11.2022 को अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया था। तभी से पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है। अभियुक्त द्वारा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने जुर्म का इकबाल करते हुये कथन किया गया है कि उसका चुटैल से समझौता हो गया है। वह उक्त वाद को आगे नहीं लड़ना चाहता है। चूंकि अभियुक्त द्वारा स्वंय अपना जुर्म इकबाल किया गया, तब उसके प्रति संवेदना रखा जाना आवश्यक है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अक्षय राठी पुत्र सोमपाल राठी को दाण्डिक वाद संख्या 23789/2022, सरकार बनाम अक्षय राठी, मु०अ०सं० 312/2018, धारा 279, 338 भा०द०सं०, थाना रोहटा, जिला मेरठ के प्रकरण में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है।

दिनांक 24.03.2023

(हरिहर गुप्ता)
अपर सिविल जज(जू०डि०),
न्यायालय संख्या-04, मेरठ।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया, जिस पर उसकी ओर से याचना की गयी कि वह पेशे से एक ड्राईवर है तथा वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। उसे कम-से-कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये। जबकि विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अधिकतम जुर्माने या सजा से दण्डित किये जाने की याचना की गयी। मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में धारा 279 भा०द०सं० के अन्तर्गत अंकन 1,000/-(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा धारा 338 भा०द०सं० के अन्तर्गत अंकन 1,000/-(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अक्षय राठी पुत्र सोमपाल राठी को दाण्डिक वाद संख्या 23789/2022, सरकार बनाम अक्षय राठी, मु०अ०सं० 312/2018, धारा 279, 338 भा०द०सं०, थाना रोहटा, जिला मेरठ के प्रकरण में अभियुक्त को धारा 279 भा०द०सं०

के अन्तर्गत अंकन 1,000/-(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा धारा 338 भा०द०सं० के अन्तर्गत अंकन 1,000/-(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिवस का कारावास भुगतना पड़ेगा।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 24.03.2023

(हरिहर गुप्ता)
अपर सिविल जज(जू०डि०),
न्यायालय संख्या-04, मेरठ।